

37



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1542]

No. 1542]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2006/वर्ष 8, 1928

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2006/1928 A 8, 1928

विदेशी अखबार

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2168(अ).—केन्द्रीय सरकार, रण्य क्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 7 की उप-धारा (7) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 407 और धारा 3 के खंड (2) के अंतर्गत उपबंधों के लागू होने को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, विस्तारित करती है।

[सं. एल.-111/04/2006]

नरिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

विदेशी अखबार

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2006

S.O. 2168(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (7) of Section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby extends the application of the provisions under Section 407 and clause 2 of Section 3 of the Merchant Shipping Act, 1958 to the Exclusive Economic Zone of India with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

[No. L-111/04/2006]

NARINDER SINGH, Jt. Secy. & Legal Adviser